:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प कान्दा तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:– सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :–33/2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1–श्री प्रकाश पिता भैरू लाल भील,उम्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमति शांता पत्नि श्री भैरूलाल भील पुत्री देबीलाल भील, उम्र बालिग निवासी कांदा हाल सिदड़ियास थाना सदर,भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–श्री रितेश पिता भैरूलाल भील, उम्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमति शांता पत्नि भैरू लाल पुत्री श्री देबीलाल भील, उम्र बालिग निवासी कांदा हाल सिदड़ियास थाना सदर, भीलवाड़ा (राजस्थान)

3–डीना पुत्री भैरूलाल भील, उम्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमति शांता पत्नि भैरूलाल पुत्री श्री देबीलाल भील, उम्र बालिग निवासी कांदा हाल सिदड़ियास थाना सदर भीलवाड़ा (राजस्थान)

4–आशा पुत्री भैरूलाल भील, उम्र नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमति शांता पत्नि भैरूलाल पुत्री देबीलाल भील, उम्र बालिग निवासी कांदा हाल सिदड़ियास थाना सदर भीलवाड़ा (राजस्थान) —————वादीगण

बनाम

1–श्री भैरू पिता नारायण भील, उम्र बालिग निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाड़ा

2–श्री श्यामलाल पिता नारायण भील, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा

3–सीता पुत्री नारायण भील, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा

4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

5–उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय , भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

—————प्रतिवादीगण

——————

वादीगण की ओर से श्री – एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 8.6.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

न्याय हित में प्रस्तुत आपसी राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कांदा पटवार हल्का कान्दा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 132 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, 132/1 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ वादीगण को 4/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि प्रतिवादीगण के साथ–साथ राजस्व रेकार्ड में 4/15 हिस्से के अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी (स.)

Scanned by CamScanner

दर्ज की जावें। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल से बेदखल नहीं करें। तथा न ही किसी प्रकार से उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करें, व शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 8.6.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner